



# लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 13 नवम्बर, 2017 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद बैठक की  
कार्यवाही का कार्यवृत्त

## उपस्थिति

1. प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो० उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, प्रतिकुलपति	—	सदस्य
3. प्रो० कीर्ति सिंहा	—	सदस्य
4. प्रो० अमिता बाजपेई	—	सदस्य
5. प्रो० अमिता कन्नौजिया	—	सदस्य
6. प्रो० कविराज	—	सदस्य
7. प्रो० राजा राम यादव	—	सदस्य
8. प्रो० वी०के० गोस्वामी	—	सदस्य
9. प्रो० पी०सी०मिश्रा	—	सदस्य
10. प्रो० वाई०के० शर्मा	—	सदस्य
11. डॉ० चन्द्र प्रकाश सिंह	—	सदस्य
12. डॉ० शरद कुमार	—	सदस्य
13. डॉ० अर्पणा गोडबोले	—	सदस्य
14. डॉ० देव नरायन श्रीवास्तव	—	सदस्य
15. प्रो० सुनील दत्त शर्मा	—	सदस्य
16. प्रो० आभा अवस्थी	—	सदस्य
17. डॉ० श्याम बाबू गुप्ता	—	सदस्य
18. प्रो० राज कुमार सिंह, कुलसचिव	—	सचिव

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय ने सभी मा० सदस्यों का स्वागत किया और बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य प्रो० बालक दास, भौतिक विज्ञान विभाग, एंव प्रो० आर०के०सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के योगदान एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया, साथ ही परिषद के नवागत सदस्य प्रो० वी०के०गोस्वामी, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, एंव प्रो० अमिता बाजपेई, संकायाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का बैठक में स्वागत किया और साथ ही विश्वविद्यालय हित में उनके बहुमूल्य सुझावों की अपेक्षा की। मा० कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु सचिव, कार्य परिषद को निर्देश दिये, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

विनिश्चय संख्या 01-परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.08.2017 के कार्यवृत्त में निम्नांकित आंशिक संशोधन के साथ कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक 31.08.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

दिनांक 11.08.2017 की कार्य परिषद के कार्यवृत्त में निम्न आंशिक संशोधन किये गये :—

1. दिनांक 11.08.2017 की कार्य परिषद के कार्यवृत्त की उपरिथिति में प्रो० पी०सी०मिश्रा, कार्य परिषद सदस्य/वित्त अधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का नाम सम्प्रिलित करते हुये पढ़ा जाये।
2. दिनांक 11.08.2017 की कार्य परिषद के कार्यवृत्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य मदों एवं तत्समय प्रस्तुत मदों के अन्तर्गत लिये जाने वाले विनिश्चयों में विनिश्चय सं० 06 के अन्तर्गत क्रमांक 03 पर अंकित प्रो० हरिकृष्ण अवरथी सभागर को संशोधित करते हुये उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागर पढ़ा जायें।
3. दिनांक 11.08.2017 की कार्य परिषद के कार्यवृत्त के विनिश्चय सं० 04 पर अंकित डॉ० नीरज कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक के सम्बन्ध में लिये गए निर्णय पर कार्य परिषद सदस्या प्रो० आभा अवरथी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तत्पश्चात् अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा सदन में उपरिथित सभी मा० सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए डॉ० नीरज कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, व्यापार प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में सक्षिप्त सारांश से सभी मा० सदस्यों को अवगत कराया गया, और यह भी बताया गया कि डॉ० नीरज कुमार सेवानिवृत्ति के समय प्रवक्ता के पद पर ही रथायी एवं निर्विवाद थे, इसलिए यदि सदन सहमत हो तो उन्हें प्रवक्ता के पद का सेवानिवृत्तिक (पेन्शन) लाभ प्रदान कर दिया जाए। जिस पर सदन में उपरिथित सभी मा० सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

उक्त संशोधनों को कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.08.2017 में समाहित करते हुये कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई, तथा साथ ही कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 31.08.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विनिश्चय संख्या 02 – परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.08.2017 एवं कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक 31.08.2017 की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

विनिश्चय संख्या 03 – लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह की तिथि 09.12.2017 से मा० कार्य परिषद अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया, जिस पर समरत मा० सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा यह भी बताया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मा० गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मा० शिक्षा मंत्री प्रो० दिनेश शर्मा एवं मा० राज्यपाल महोदय के आगमन की सहमति विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गई हैं, साथ ही समरत मा० सदस्यों द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के 60वें प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि मा० गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

उक्त प्रकरण पर मा० कार्य परिषद सदस्या प्रो० आभा अवरथी एवं कार्य परिषद सदस्य डॉ० श्याम वाबू गुप्ता द्वारा सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि मानद उपाधि मा० गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ –साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान करने वाले किसी एक विद्वत् व्यक्ति को भी प्रदान किया जाये, प्रो० आर०के०सिंह, कुलसचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि मा० श्री राजनाथ सिंह पूर्व में प्राध्यापक रहे हैं। जिसे सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकार किया गया, मा० कार्य परिषद सदस्या प्रो० आभा अवरथी एवं कार्य परिषद सदस्य डॉ० श्याम वाबू गुप्ता द्वारा दिये गये सुझावों से सदन सहमत हैं, अगले वर्ष के दीक्षांत समारोह के अवरार पर विचार किया जाएगा।

**विनिश्चय संख्या 04** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एंव आधुनिक इतिहास विभाग में कार्यरत प्रो० रश्मि रेखा के पत्र दिनांक 06.09.2017 एंव प्राप्त आख्या के पत्र दिनांक 17.10.2017 के आलोक में दिनांक 16.11.2017 से दिनांक 14.11.2018 तक की अवधि हेतु पूर्ण वेतन पर Sabbatical Leave अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 05** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर दिनांक 02.02.2016 को सम्पन्न चयन समिति की रारतुति के आधार पर कार्यपरिपद की वैठक दिनांक 11.02.2016 के विनिश्चय सं० 03(17) में सहायक आचार्य (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर अधिमानी क्रम में की गई नियुक्ति में क्रम सं० 01 पर चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता पूर्ण न होने के कारण मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में क्रम सं० 01 पर चयनित अभ्यर्थी का चयन निरस्त किये जाने के उपरान्त क्रम सं० 02 पर चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तथा क्रम सं० 01 पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश से परिपद को अवगत कराया गया, जिस पर समर्त मा० सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एंव समग्र विचारोपरान्त क्रम सं० 03 पर अंकित प्रतीक्षारत अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार यादव को अधिमानी क्रम में नियुक्ति प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 06** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ० राकेश कुमार सिंह, प्रोफेसर, विधि के समर्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ० सिंह को प्रोफेसर के मौलिक पद पर रथायीकरण दिनांक 19.06.2017 के अपरान्ह से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 07** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ० नागेन्द्र कुमार मौर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समर्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ० मौर्या को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर रथायीकरण दिनांक 14.06.2017 से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

“उक्त विनिश्चय की कार्यसूची की चौंथी पंक्ति में अंकित डा० सिंह के रथान पर डा० मौर्या संशोधित करते हुए पढ़ा जाये।”

**विनिश्चय संख्या 08** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत श्री वरुण छाछर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समर्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त श्री छाछर को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर रथायीकरण दिनांक 25.05.2017 से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 09** – परिपद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य अरवी तथा फारसी विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ० सुब्रहान आलम खान, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समर्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ० खान को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर रथायीकरण दिनांक 12.05.2017 से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 10 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के फारसी विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ० शवीव अनवर अल्वी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ० अल्वी को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर स्थायीकरण दिनांक 12.05.2017 से अनुगन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त विनिश्चय के अन्त में मा० अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा सदन को अवगत कराया कि डा० संगीता साहू, एसोशिएट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन विभाग के प्रकरण के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त कर लिये गये हैं, यदि सदन की सहमति हो तो इसी क्रम में डा० संगीता साहू को दिनांक 19.02.2017 से एसोशिएट प्रोफेसर, के मौलिक पद पर स्थायीकरण कर दिया जाये, जिस पर समस्त मा० सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में एसोशिएट प्रोफेसर, के पद पर कार्यरत डॉ० शैली मलिक के पत्र दिनांक 09.12.2017 के क्रम में परिषद द्वारा पूर्व में र्खीकृत (03.10.2016 से 02.10.2017) स्टडी लीव के क्रम में पुनः दिनांक 03.10.2017 से 01.11.2017 (30 दिन) तक पूर्ण वेतन पर स्टडी लीव को विरतारित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 12 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी एंव आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत प्रो० अल्का पाण्डेय को लोक गीतों में अभिव्यक्त संवेदना पर शोध कार्य किये जाने हेतु दिनांक 05.08.2017 से 04.04.2018 तक के लिए Sabbatical Leave र्खीकृत किये जाने तथा विभागाध्यक्ष, हिन्दी एंव आधुनिक भारतीय भाषा विभाग एंव संकायाध्यक्ष, कला संकाय की संस्तुति के क्रम में Sabbatical Leave की तिथि 13.11.2017 से दिनांक 12.05.2018 किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया, उक्त विनिश्चय को अन्य विनिश्चय की कार्यसूची के विनिश्चय सं० 04 में अंकित संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13 – कार्यालय के पत्र संख्या टी-472016-19 दिनांक 12.09.2017 जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पर्यटन अध्ययन संस्थान पर सहायक आचार्य (संविदा) पर कार्यरत डॉ० प्रीती मदान शर्मा को ओ०एस०डी० पर्यटन अध्ययन संस्थान की संस्तुति के आधार पर दिनांक 31.07.2017 अपरान्ह से सहायक आचार्य (संविदा) पर्यटन अध्ययन संस्थान के पद से मा० कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 31.07.2017 र्खीकृत किये जाने के उपरान्त त्याग पत्र र्खीकार किया गये पत्र से परिषद अवगत हुई।

विनिश्चय संख्या 14 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत प्रो० पूनम टण्डन की वरिष्ठता आगणित करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता श्री एस०पी० सिंह द्वारा प्राप्त विधिक राय से परिषद अवगत हुई एंव परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15 – परिषद द्वारा श्री दया धवन निवासी सी०-५१२ डिफेंस कालोनी नई दिल्ली -११००२४ दिनांक 16.08.2017 जिसके द्वारा “ बैरिस्टर बी०के० धवन मेमोरियल गोल्ड मेडल ” विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम(सेमेस्टर १ से ६ तक) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र / प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 16** —कार्यालय द्वारा प्रत्युत टीप जो कि श्री अजयन के0 सेक्रेटरी वार कौसिल ऑफ केरल द्वारा प्रस्तुत पत्र जो की विधि की डिग्री के सत्यापन में लिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से परिषद अवगत हुई एंव परिषद द्वारा विधि की डिग्री का सत्यापन शुल्क न लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 17**—कार्यालय के पत्र संख्या टी—46745—49 दिनांक 30.08.2017 जो श्री पी0 राजीव नयन, प्रोफेसर, ललित कला विभाग, डॉ० शंकुतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड लखनऊ के सम्बन्ध में हैं डॉ० राजीवनयन पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एंव शिल्प महाविद्यालय, मूर्तिकला विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत थे डॉ० राजीवनयन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 01 वर्ष का खीकृत वेतन रहित असाधारण अवकाश समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र सं0 17935 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अपने पूर्व धारित पद एसोशिएट प्रोफेसर, मूर्तिकला विभाग, कला एंव शिल्प महाविद्यालय, के सम्बन्ध में मौंगा गया स्पष्टीकरण का अद्यतन स्थिति तक कोई भी आख्या/उत्तर न देने की रिथति में तथा असाधारण अवकाश के विस्तारण न होने के कारण इनकी रोवाएं लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एंव शिल्प महाविद्यालय से खतः समाप्त हो गई थी, जिसे मा0 कुलपति महोदय द्वारा खीकार किया जा चुका हैं, संदर्भित प्रकरण से परिषद अवगत हुई, एंव परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

“उक्त विनिश्चय की कार्यसूची की आंठवी पंक्ति में अंकित सहायक आचार्य के स्थान पर एसोशिएट प्रोफेसर को संशोधित करते हुए पढ़ा जाये।”

**विनिश्चय संख्या 18**—कार्यालय के पत्र संख्या टी—46739—43 दिनांक 30.08.2017 जो श्री राजेन्द्र प्रसाद, एसोशिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग, डॉ० शंकुतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड लखनऊ के सम्बन्ध में हैं डॉ० प्रसाद पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एंव शिल्प महाविद्यालय, मूर्तिकला विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत थे डॉ० प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 01 वर्ष का खीकृत वेतन रहित असाधारण अवकाश समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र सं0 17933 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अपने पूर्व धारित पद सहायक आचार्य, मूर्तिकला विभाग, कला एंव शिल्प महाविद्यालय, के सम्बन्ध में मौंगा गया स्पष्टीकरण का अद्यतन स्थिति तक कोई भी आख्या/उत्तर न देने की रिथति में तथा असाधारण अवकाश के विस्तारण न होने के कारण इनकी रोवाएं लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एंव शिल्प महाविद्यालय से खतः समाप्त हो गई थी, जिसे मा0 कुलपति महोदय द्वारा खीकार किया जा चुका हैं, संदर्भित प्रकरण से परिषद अवगत हुई एंव परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विनिश्चय संख्या 19**—परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित विभागों में संविदा/नियत वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी कुलसंचय द्वारा निर्गत पत्र से परिषद अवगत हुई एंव परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	विभाग/पदनाम	नियुक्ति का प्रकार
1	मिस आग्रपाली	भौतिक विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक	नियत वेतन ₹015,000/-
2	मिस मीना कनोजिया	रसायन विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक	नियत वेतन ₹015,000/-
3	श्री अगिंजीत मोर्या	वर्कशाप/प्रयोगशाला सहायक	नियत वेतन ₹015,000/-
4.	श्री अरुणेश सिंह	मैकेनिकलइंजीनियर/प्रयोगशाला सहायक	नियत वेतन ₹015,000/-
5.	श्री आदित्य कुमार	ग्राफिक्स इंजीनियर/प्रयोगशाला सहायक	नियत वेतन ₹015,000/-

6.	श्री कामरान वारसी	प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन/प्रयोगशाला सहायक	नियत येतन ₹015,000/-
7.	श्री राजेश कुमार कनौजिया	इलेक्ट्रोकलाइजी०/प्रयोगशाला सहायक	नियत येतन ₹015,000/-
8.	श्री अनुल प्रकाश सिंह	कम्प्यूटर साइंस इंजी० /प्रयोगशाला सहायक	नियत येतन ₹015,000/-

“उक्त विनिश्चय की कार्यसूची की तीसरीं पंक्ति में अंकित शिक्षकों/कर्मचारियों के स्थान पर केवल कर्मचारियों को संशोधित करते हुए पढ़ा जाये।”

इतर मद 6/2017

विनिश्चय संख्या 01 –डॉ० नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत पत्र जो अपने पूज्य पिता स्व० डी०पी० बोरा जी के नाम विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम(सेमेस्टर 1 से 6 तक) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को “डी० पी० बोरा मेमोरियल गोल्ड मेडल” प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/ प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

आर्डिनेन्स निम्नवत हैं –

“उक्त पदक एलएल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जाएगा (प्रथम से छठे सेमेस्टर के अंको के आधार पर)

समान अंक प्राप्त करने की दशा में उक्त पदक उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जाए जो कि आयु में कम हो।”

विनिश्चय संख्या 02 –प्रो० पी०सी० श्रीवारत्तव (सेवानिवृत्त) रसायन विज्ञान विभाग, द्वारा प्रस्तुत पत्र जो अपने पिता स्व० शीतला प्रसाद श्रीवारत्तव एंव माता स्व० श्रीमती विद्या देवी श्रीवारत्तव के नाम से एम०एससी० (चतुर्थ सेमेस्टर) के Nuclear & Radiochemistry and Bioinorganic & Supermolecular Chemistry में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र को “शीतला विद्या मेमोरियल गोल्ड मेडल” दिया जा रहा था, उक्त को संशोधित करते हुए अब एम०एससी० (चतुर्थ सेमेस्टर) के Organotransition metal chemistry (Paper II CH 402) and Bioinorganic & Supermolecular Chemistry(Paper I) में प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/ प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

आर्डिनेन्स निम्नवत हैं –

“उक्त पदक एम०एससी० (चतुर्थ सेमेस्टर) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत Organotransition metal chemistry (Paper II CH 402) and Bioinorganic & Supermolecular Chemistry(Paper I) विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जाएगा (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के अंको के आधार पर)

समान अंक प्राप्त करने की दशा में उक्त पदक उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जाए जो कि आयु में कम हो।”

विनिश्चय संख्या 03 –परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग के मौलिक पद पर कार्यरत डॉ० विमल जायसवाल, प्रोफेसर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के समर्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव रवमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ० जायसवाल को प्रोफेसर के मौलिक पद पर स्थायीकरण दिनांक 20.03.2017 के अपरान्त से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत प्रो० अल्का पाण्डेय को लोक गीतों में अभिव्यक्त संवेदना पर शोध कार्य किये जाने हेतु दिनांक 05.08.2017 से 04.04.2018 तक के लिए Sabbatical Leave स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मुख्य कार्यसूची के विनिश्चय सं० 12 पर विचारार्थ प्रस्तुत एवं अनुमोदन के क्रम में प्रो० अल्का पाण्डेय की Sabbatical Leave दिनांक 13.11.2017 से दिनांक 12.05.2018 स्वीकृत करने रामबन्धी प्रकरण को संशोधित करते हुये मुख्य कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 12 पर अंकित विनिश्चय के साथ जोड़ते हुये परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05 – परिषद द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग-१ उ०प्र० शासन के पत्र सं० 4 / 2017 / 477 / सत्तर-१-२०१७ / 16(114) / 2010 दिनांक 11.10.2017 जिसके द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने सम्बन्धी शासनादेश पर परिषद द्वारा इसे लखनऊ विश्वविद्यालय के परिनियमावली का अंश बनाये जाने और इसे यथास्थान जोड़े जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।


विनिश्चय संख्या 06 – परिषद द्वारा प्रो० कमान सिंह, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, रायबरेली रोड, लखनऊ में प्रो० के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2014 तक एवं 05.07.2016 से १ वर्ष के लिए प्रो० सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर शासन की अनुमति की प्रत्याशा में स्वीकृत वेतनरहित असाधरण अवकाश समाप्त हो जाने की दशा में परिनियम 16.18 में सशोधन होकर अद्यतन अप्राप्त है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रो० कमान सिंह द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 24. 06.2017 को अर्खीकार कर दिया गया है। सम्बन्धित पत्र से परिषद अवगत हुई एवं परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07 – परिषद द्वारा निम्नलिखित M.O.U.(Memorandum of understanding) पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. M.O.U. with B.M.R.C.
2. M.O.U. with B.S.I.P.
3. M.O.U. of Journalism & Mass Communication Department University of Lucknow with DoorDarshan.

दैनिक के अन्त में मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा मा० सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

  
प्रो० आर०के०सिंह  
कुलसचिव / सचिव

  
प्रो० एस०पी०सिंह  
कुलपति / अध्यक्ष

समर्त पत्र व्यवहार कुल संघिय, लखनऊ  
विश्वविद्यालय को सम्मोहित करें अन्य किसी  
अधिकारी के नाम से नहीं।



संख्या T-46326 /ठीकिंग/2011  
दिनांक २५/६/१७

प्रेषक,

कुलसंघिय,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ-226007

सेवा में,

प्रो० कमान सिंह,  
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,  
रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

महोदय,

वृत्त्या आपने पत्र दिनांक 24.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 05 जुलाई, 2016 से एक वर्ष के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत करने से सम्बन्धित विषयक है।

इस सम्बन्ध में सूचित करने का निदेश हुआ है कि बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2014 तक एवं 01.07.2016 से 31 वर्ष के लिए आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर शासन की अनुमति की प्रत्याशा में वेतनरहित असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 04.07.2017 को समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वेतनरहित असाधारण अवकाश की अवधि पूर्व परिनियम-16.18 में संशोधन होकर अद्यतन अप्राप्त है। संशोधित परिनियम-15.19 में निम्न प्राविधान हैं:-

#### 15.19 Extraordinary-Leave

Extraordinary leave may be combined with any other leave except casual leave and Special Casual leave, provided that the total period of continuous absence from duty on leave (including periods of vacation when such vacation is taken in conjunction with leave) shall not exceed three years except in cases where leave is taken on medical certificate. The total period of absence from duty shall in no case exceed five years in the full working life of the individual.

उपरोक्त पौरूष को कुलसंघिय रखते हुये मात्र कुलपति महोदय ने आपके अनुरोध पत्र दिनांक 24.06.2017 को अस्वीकृत कर दिया है।

भवदीय

(प्रो० आर०क० सिंह)  
कुलसंघिय

संख्या-T-46327-२९

दिनांक- २५/६/१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय।
- विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।
- वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय।

(प्रो० आर०क० सिंह)  
कुलसंघिय

०६/७/१८